

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/  
सभी विभागध्यक्ष,  
बिहार।

पटना-15, दिनांक-5-1-18

**विषय:-** बिहार राज्य की आरक्षण नीति के आलोक में प्रति माह समीक्षा तथा नियुक्ति के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

**प्रसंग:-** विभागीय पत्रांक-3080 दिनांक-15.03.2017

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सभी आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही आरक्षण के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अनुश्रवण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर की जा रही है जिसके आलोक में प्रासंगिक पत्र द्वारा विभागीय स्तर पर नामित सम्पर्क पदाधिकारी के स्तर से प्रत्येक माह आरक्षण संबंधी प्रतिवेदन प्रति माह, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसके कारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में चिन्ता व्यक्त की गई है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विहित प्रपत्र में भरकर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त आशय का प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ई-मेल संख्या-secy-par.bih@nic.in तथा फ़ैक्स नम्बर-0612-2217466 पर भी प्रेषित किया जा सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु प्रतिवेदन का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

कृपया उच्च प्राथमिकता देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
(शिवमहादेव प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव।

